Annexure-8

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

अक्ष210 R

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of Which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of Posting Notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of Delivery of Copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
49 12/7/2021	13/7/2021	13/7/2021	उपजिलाधिकारी ... सकलडीहा

नकल आदेश दि० 28/8/2020 के

वादसं० T202015180302003 धारा 80 उ०प्र०रा०सं० 2006 न्यायालय उप जिलाधिकारी सकलडीहा जनपद चन्दौली। मौजा - इजरा प० बाह तह० सकलडीहा, चन्दौली। उदय प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट इजरा माजिदहा बजरिये अध्यक्ष चेयरमैन श्रीमती निर्मला सिंह V/S राज्य उ०प्र०

लिखित 28/8/202

R.T.

निर्मला सिंह
Chairman
Uday Pratap Memorial Trust
Ijra Majidha Chandauli

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :चन्दौली,तहसील :सकलडिहा
वाद सख्या :-02003/2020
कंप्यटरीकत वाद सख्या :-T202014180302003
उदय प्रताप मेमोरियल टस्ट इजरा मजिदहाँ वजरिये अध्यक्ष /चेयरमैन श्रीमती निर्मला सिह बनाम सरकार उ०प्र०
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

उदय प्रताप सिंह मेमोरियल ट्रस्ट इजरा मजिदहा वजरिये अध्यक्ष/चेयरमैन श्रीमती निर्मला सिह पत्नी स्व0 उदय प्रताप सिह निवासी ग्राम मजिदहा परगना बरह तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली द्वारा दिनाक 06.07.2020 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आराजी मौजा इजरा परगना बरह तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली के आ0न0 164 रकबा 0.640 हे0 की प्रार्थीनी संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखिल कास्तकार है। उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबा 0.640 हे0 भूमि पर सायला/प्रार्थीनी द्वारा विद्यालय भवन बनाया गया है, एवं कुछ भाग खाली है। प्रश्नगत आराजी का सम्पूर्ण रकबा 0.640 हे0 आबादी से आच्छादित है, जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य में लाया जा रहा है। उक्त आराजी पर कृषि कार्य नही किया जाता है। प्रश्नगत आराजी का सम्पूर्ण रकबा 0.640 हे0 भूमि वर्तमान समय मे वशकल आवादी के रूप मे परिवर्तित हो चुकी है। अन्त मे प्रार्थना की गयी है कि आ0न0 164/0.640 हे0 भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ उदघोषित किया जाय ताकि न्याय हो। प्रार्थना पत्र के साथ उद्धरण खतौनी, खसरा, जोत चक0 आकार पत्र 41 व 45 निर्धारित जमाकोष की चालान प्रति व कोर्ट फिस के रूप मे सादा स्टाम्प पेपर प्रस्तुत किया गया। उक्त आराजी में कोई सहखातेदार का नाम अंकित न होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र को जॉच हेतु नायब तहसीलदार सकलडीहा को प्रेषित किया गया। नायब तहसीलदार सकलडीहा द्वारा सम्बन्धित राजस्व कर्मियो से स्थलीय जॉच कराकर अपनी जॉच आख्या दिनांक 29.07.2020 द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर हुआ।

पत्रावली का अवलोकन/परिशील्न किया गया। पत्रावली मे सलग्न नायब तहसीलदार सकलडीहा कि जॉच आख्या दिनांक 29.07.2020 मे स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि मौजा इजरा परगना बरह तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली के आ0न0 164/0.640 हे0 भूमि पर प्रार्थीनी/सायला का नाम संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेख मे अंकित है। उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबा 0.640 हे0 पर प्रार्थीनी/सायला द्वारा विद्यालय भवन निर्माणाधीन है तथा पूरी भूमि बाउण्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। उक्त भूमि को आवादी एवं कामर्शियल के रूप मे उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है, जिसपर कृषि कार्य नहीं होता है। नायब तहसीलदार सकलडीहा द्वारा प्रश्नगत आराजी के रकबा 0.640 हे0 भूमि को अकृषिक प्रयोजनार्थ उदघोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है। सायल/प्रार्थीनी द्वारा निर्धारित जमा धनराशि की चालान प्रति एवं सादा स्टाम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। सायल/प्रार्थीनी द्वारा अपने साक्ष्य में उद्धरण खतौनी,खसरा,जोत चक0 आकार पत्र 41 व 45 व मौके का छायांकन चित्र (फोटो) प्रति प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली मे संलग्न खसरा सन् 1426 फ0 में वादग्रस्त आराजी परती के रूप मे अंकित है, वादग्रस्त आराजी वादोनी/सायल की तनहा सम्पत्ति है, किसी के अनापत्ति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अभिलेखो के परीक्षण एवं नायब तहसीलदार सकलडीहा की उपरोक्त जॉच आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी के रकबा 0.640 हे0 भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है, बल्कि सायला/प्रार्थीनी द्वारा विद्यालय भवन बनाकर बाउण्ड्रीवाल से घेरकर कामर्शियल के रूप मे उपयोग/उपभोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार सकलडीहा की आख्या से सहमत होते हुये प्रश्नगत आराजी के रकबा 0.640 हे0 भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उदघोषित किये जाने मे कोई वैधानिक अडचन प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

मौजा–इजरा परगना बरह तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली के उद्धरण खतौनी सन 1426–1431 फ0 के खाता 11 के आ0न0 164/0.640 हे0 भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उदघोषित किया जाता है। आदेश कि प्रमाणित प्रति तहसीलदार सकलडीहा को अनुपालन हेतु भेजी जाय तथा एक प्रति उप निबन्धक, सकलडीहा को निःशुल्क निबन्धन हेतु भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल–दफ्तर होवे।

दिनांक:– 28/8/2020

(प्रदीप कुमार) 28/8/2020
उप जिलाधिकारी,
सकलडीहा,चन्दौली

निर्मला सिंह
Chairman
Uday Pratap Memorial Trust
Ijra Majidaha Chandauli